



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10012026-269254  
CG-DL-W-10012026-269254

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 10—जनवरी 16, 2026 (पौष 20, 1947)  
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10—JANUARY 16, 2026 (PAUSA 20, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | पृष्ठ सं. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ सं. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....                                                                                 | 3         | छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *         |
| भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....                                                               | 15        | भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... | *         |
| भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                      | 1         | भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *         |
| भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....                                                                                                                       | 63        | भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                      | 75        |
| भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....                                                                                                                                                                                                                  | *         | भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *         |
| भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....                                                                                                                                                                          | *         | भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *         |
| भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....                                                                                                                                                                                     | *         | भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1         |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... | *         | भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109       |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को                                                                                                                    |           | भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *         |

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Page<br>No. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Page<br>No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....                                                                        | 3           | (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *           |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....                                                                       | 15          | PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... | *           |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....                                                                                                                                                                             | 1           | PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *           |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....                                                                                                                                                       | 63          | PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....                                                                                                                                                                                 | 75          |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....                                                                                                                                                                                                                                            | *           | PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *           |
| PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....                                                                                                                                                                                                | *           | PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *           |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....                                                                                                                                                                                                                         | *           | PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1           |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... | *           | PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 109         |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India                                                                                                                                                                          |             | PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *           |

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसंबर 2025

संकल्प

सं. आर-11022(12)/1/2017-ओआर-I/ई-7712—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की हाइड्रोकार्बन संबंधी वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एसएसी) को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख के प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए नीचे निर्दिष्ट निबंधन और शर्तों पर एतत् द्वारा पुनर्गठित किया जाता है। समिति की संरचना इस प्रकार होगी:—

| क्रमांक    | नाम                        | पदनाम                       | संगठन                         |
|------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| अध्यक्ष    |                            |                             |                               |
| 1          | प्रो. गणपति दादासाहेब यादव | एमेरिटस प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस | रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान |
| सदस्य      |                            |                             |                               |
| 2          | डॉ. आशीष लेले              | निदेशक                      | एनसीएल, पुणे                  |
| 3          | प्रो. संजय एम. महाजनी      | प्रोफेसर                    | आईआईटी, मुंबई                 |
| 4          | श्री आर. रामचंद्रन         | पूर्व निदेशक (रिफाइनरीज)    | बीपीसीएल                      |
| 5          | प्रो. के के पंत            | निदेशक                      | आईआईटी, रुड़की                |
| 6          | डॉ. अजय माथुर              | प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस       | आईआईटी, दिल्ली                |
| सदस्य सचिव |                            |                             |                               |
| 7          | कार्यकारी निदेशक           |                             | सीएचटी                        |
| पदेन सदस्य |                            |                             |                               |
| 8          | निदेशक (रिफाइनरीज)         |                             | आईओसीएल                       |
| 9          | निदेशक (आर एंड डी)         |                             | आईओसीएल                       |
| 10         | निदेशक (रिफाइनरीज)         |                             | बीपीसीएल                      |
| 11         | निदेशक (रिफाइनरीज)         |                             | एचपीसीएल                      |
| 12         | निदेशक (तकनीकी)            |                             | ईआईएल                         |
| 13         | निदेशक (बीडी)              |                             | गेल                           |
| 14         | निदेशक (रिफाइनरी)          |                             | एमआरपीएल                      |
| 15         | सचिव                       |                             | ओआईडीबी                       |
| 16         | निदेशक                     |                             | एआरएआई                        |
| 17         | निदेशक                     |                             | सीएसआईआर-आईआईपी               |
| 18         | महानिदेशालय                |                             | डीजीएच                        |

| क्रमांक         | नाम                      | पदनाम | संगठन                |
|-----------------|--------------------------|-------|----------------------|
| 19              | महानिदेशक                |       | ओएनजीसी ऊर्जा केंद्र |
| 20              | निदेशक (अन्वेषण)         |       | ओएनजीसी              |
| स्थायी आमंत्रित |                          |       |                      |
| 21              | संयुक्त सचिव (रिफाइनरीज) |       | एमओपीएनजी            |
| 22              | संयुक्त सचिव (बीआर)      |       | एमओपीएनजी            |
| 23              | प्रमुख (आर एंड डी)       |       | बीपीसीएल             |
| 24              | प्रमुख (आर एंड डी)       |       | एचपीसीएल             |
| 25              | प्रमुख (आर एंड डी)       |       | ईआईएल                |
| 26              | प्रमुख (आर एंड डी)       |       | गेल                  |
| 27              | प्रमुख (आर एंड डी)       |       | सीपीसीएल             |

अध्यक्ष समिति की बैठक में भाग लेने या समिति की सहायता करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति/ व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर सकते हैं।  
एमओपीएनजी के अन्य संयुक्त सचिवों को कार्यसूची की आवश्यकताओं के अनुसार आमंत्रित किया जाएगा।

## 2. एसएसी की अवधि:—

समिति का कार्यकाल भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा। समिति जितनी बार आवश्यक हो बैठक करेगी और समय-समय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को उपयुक्त सिफारिशें करेगी।

एसएसी की निबंधन और शर्तें:—

### क) उद्देश्य

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र (अपस्ट्रीम क्षेत्र को छोड़कर) में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना।

### ख) समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:—

- ईंधन के उत्पादन के लिए हाइड्रोकार्बन से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास और रसायनों और पेट्रोरसायनों के लिए फीड स्टॉक की पहचान करना और बढ़ावा देना।
- ईंधन और रसायनों के रूप में उपयोग के लिए हाइड्रोकार्बन कच्चे माल का इष्टतम प्रसंस्करण सुनिश्चित करना।
- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र और ऊर्जा दक्ष प्रचालनों में कार्बन फुटप्रिंट में कमी सुनिश्चित करना।
- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना।
- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की दीर्घकालिक प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं की पहचान करना।
- तेल और गैस संगठनों और अन्य पणधारकों की बीच सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रमों को सुसाध्य बनाना।
- उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) के माध्यम से ओआईडीबी द्वारा वित्त पोषण के लिए विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्तावों की जांच करना और उन पर विचार करना।
- स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और फास्ट ट्रेक वाणिज्यिकरण के लिए तंत्र तैयार करना।
- हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में हाल में हुए बदलावों की जानकारी के प्रसार को बढ़ावा देना।

ग) पदेन सदस्यों/सरकारी अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग/उपक्रमों द्वारा वहन किया जाएगा। समिति पर होने वाला कोई अन्य व्यय सीएचटी द्वारा वहन किया जाएगा।

घ) गैर-सरकारी अधिकारियों/शैक्षणिक सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय सीएचटी द्वारा वहन किया जाएगा। उन्हें एसएसी की बैठकों में भाग लेने और अपने कार्यस्थल से बैठक के स्थान तक यात्रा करने के लिए उन्हें पात्र श्रेणी से हवाई यात्रा के वास्तविक किराये की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ङ) एसएसी बैठकों में भाग लेने के लिए स्थानीय परिवहन के वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तथापि, यदि एसएसी सदस्य को वाहन उपलब्ध कराया जाता है तो स्थानीय परिवहन के लिए कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

- च) एसएसी के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 7500/- रुपए (सात हजार पाँच सौ रुपए मात्र) का मानदेय देय होगा और सीएचटी द्वारा तकनीकी जानकारी देने के लिए समिति की बैठकों में आमंत्रित पेशेवर/तकनीकी विशेषज्ञों को 5000/- रुपए का मानदेय देय होगा।
- छ) समिति को आवश्यक सचिवीय सहायता उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र (सीएचटी) द्वारा प्रदान की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित राज्य प्रशासनों, लोक सभा और राज्य सचिवालयों तथा भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुजाता शर्मा  
संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 31st December 2025

## RESOLUTION

No. R-11022(12)/1/2017-OR-I/E-7712—The Scientific Advisory Committee (SAC) on Hydrocarbons of the Ministry of Petroleum and Natural Gas is hereby reconstituted for a period of three years with effect from date of publishing in the Official Gazette of India on the terms and conditions specified hereunder. The composition of Committee will be as under:—

| S. No.             | Name                           | Designation                    | Organisation                     |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| CHAIRMAN           |                                |                                |                                  |
| 1                  | Prof. Ganapati Dadasaheb Yadav | Emeritus Professor of Eminence | Institute of Chemical Technology |
| MEMBERS            |                                |                                |                                  |
| 2                  | Dr. Ashish Lele                | Director                       | NCL, Pune                        |
| 3                  | Prof. Sanjay M. Mahajani       | Professor                      | IIT, Mumbai                      |
| 4                  | Sh. R. Ramachandran            | Former Director (Refineries)   | BPCL                             |
| 5                  | Prof. K K Pant                 | Director                       | IIT, Roorkee                     |
| 6                  | Dr. Ajay Mathur                | Professor of Practice          | IIT, Delhi                       |
| MEMBER SECRETARY   |                                |                                |                                  |
| 7                  | Executive Director             |                                | CHT                              |
| EX-OFFICIO MEMBERS |                                |                                |                                  |
| 8                  | Director (Refineries)          |                                | IOCL                             |
| 9                  | Director (R&D)                 |                                | IOCL                             |
| 10                 | Director (Refineries)          |                                | BPCL                             |
| 11                 | Director (Refineries)          |                                | HPCL                             |
| 12                 | Director (Technical)           |                                | EIL                              |
| 13                 | Director (BD)                  |                                | GAIL                             |
| 14                 | Director (Refinery)            |                                | MRPL                             |
| 15                 | Secretary                      |                                | OIDB                             |
| 16                 | Director                       |                                | ARAI                             |
| 17                 | Director                       |                                | CSIR-IIP                         |
| 18                 | Directorate General            |                                | DGH                              |
| 19                 | Director General               |                                | ONGC Energy Centre               |
| 20                 | Director (Exploration)         |                                | ONGC                             |
| PERMANENT INVITEES |                                |                                |                                  |
| 21                 | Joint Secretary (Refineries)   |                                | MoPNG                            |
| 22                 | Joint Secretary (BR)           |                                | MoPNG                            |
| 23                 | Head (R&D)                     |                                | BPCL                             |
| 24                 | Head (R&D)                     |                                | HPCL                             |
| 25                 | Head (R&D)                     |                                | EIL                              |
| 26                 | Head (R&D)                     |                                | GAIL                             |
| 27                 | Head (R&D)                     |                                | CPCL                             |

The Chairman may also invite any other person(s) to attend the meeting of the Committee or to assist the Committee. Other Joint Secretaries of MoPNG would be invited as per agenda requirements.

## 2. Duration of the SAC:—

The Committee's term will be for a period of three years from date of publishing in the Official Gazette of India. The Committee shall meet as often as necessary and will make suitable recommendations to the Ministry of Petroleum & Natural Gas from time to time.

## Terms &amp; Conditions of the SAC:—

## a) Mission

To promote application of science and technology in the hydrocarbon sector (excluding upstream sector).

## b) The terms of reference of the Committee will be as under:—

- i. To identify and promote development and development of technologies related to hydrocarbons for production of fuels and feed stocks for chemicals and petrochemicals.
- ii. To ensure optimum processing of hydrocarbons raw material for use as fuels and chemicals.
- iii. To ensure reduction in carbon footprint of hydrocarbon sector and energy efficient operations.
- iv. To promote application of alternate energy sources in hydrocarbon sector.
- v. To identify long term technological needs of hydrocarbon sector.
- vi. To facilitate collaborative research programmes among oil and gas organizations and other stake holders.
- vii. To examine and deliberate on R&D project proposals submitted by various R&D organizations and academic institutions for funding by OIIB through Centre for High Technology (CHT).
- viii. To formulate mechanism for demonstration and fast track commercialization of indigenously developed technologies.
- ix. To promote dissemination of information on latest developments in hydrocarbon sector.

## c) Expenditure on TA/ DA of Ex officio members/ Government officials/ representatives of Public Sector Undertakings will be met by the respective concerned department/ Undertaking(s). Any other expenditure on the committee will be borne by CHT.

## d) The expenditure on TA/ DA of non-officials/ members from Academia will be met by CHT. They will be reimbursed entitled class airfare at actual for attending the SAC meetings and travelling from their place of working to the place of meeting.

## e) Local transport for attending the SAC meetings will be reimbursed at actuals. However, in case SAC member is provided with transport, no reimbursement for the local transport shall be made.

## f) An honorarium of Rs.7,500/- (Rupees Seven Thousand Five Hundred only) will be payable to the Chairman and non-official members of the SAC and Rs.5,000/- for professional/ technical experts invited to the committee meetings to give technical inputs by CHT for participating in each SAC meeting.

## g) The Secretarial assistance required to the Committee will be provided by Centre for High Technology (CHT).

## ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUJATA SHARMA  
Joint Secretary